

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

न्यायालयीन प्रकरणों में अधिवक्ताओं के शुल्क भुगतान एवं अन्य विधिक व्यय हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।